मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3618
11.08.2025 को उत्तर के लिए

कंपनियों की अनुपालन रिपोर्ट का वास्तविक सत्यापन

3618. श्री हनुमान बेनीवालः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मुंडवा स्थित अंबुजा सीमेंट और नागौर लोकसभा क्षेत्र स्थित जिंदल स्टील वर्क्स (जेएसडब्ल्यू) को पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्टों के वास्तविक सत्यापन के लिए कोई आदेश जारी किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को वास्तविक सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार का उक्त कंपनियों द्वारा सरकार को भेजी गई पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों के संबंध में अनुपालन न करने की रिपोर्टों को ध्यान में रखकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने उप-कार्यालय (एसओ), जयपुर से नागौर लोकसभा क्षेत्र में स्थित मेसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और मेसर्स जिंदल स्टील वर्क्स (जेएसडब्ल्यू) सीमेंट की पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित स्थिति-वार अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। एसओ जयपुर द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण के आधार पर परियोजना की समग्र पर्यावरण अनुपालन स्थिति पर सामान्य टिप्पणियों वाली प्रारंभिक रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, मेसर्स जेएसडब्ल्यू सीमेंट, नागौर में एक एकीकृत सीमेंट संयंत्र और एक खुली चूना पत्थर खदान है। दोनों परियोजनाओं को मंत्रालय से वैध पर्यावरणीय मंज़ूरी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त है। सीमेंट संयंत्र निर्माणाधीन है और खदान प्रारंभिक

विकास चरण में है। एसओ, जयपुर ने बताया है कि दोनों गतिविधियों में प्रथम दृष्टया पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का कोई बड़ा उल्लंघन नहीं पाया गया है।

मेसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, मारवाड़ मुंडवा, नागौर में एक एकीकृत सीमेंट संयंत्र और दो खुली चूना पत्थर खदानें हैं। तीनों परियोजनाओं को मंत्रालय से वैध पर्यावरणीय मंज़ूरी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त है। सीमेंट संयंत्र में आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगे हैं और पर्यावरण संरक्षण के बुनियादी उपाय अपनाए गए हैं। खदानों के पास स्वीकृत खनन योजनाएँ हैं और दोनों गतिविधियों में, एसओ, जयपुर द्वारा प्रथम दृष्टया, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का कोई बड़ा उल्लंघन नहीं पाया गया है।

ईसी शर्तों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों/उप-कार्यालयों की ईसी शर्त-वार अनुपालन रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर की जाती है।

*****